न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः–सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–548 / 2026
उत्पाद थाना कांड सं0–229 / 26
बिहार राज्य बनाम् मिनाक्षी देवी।

मिनाक्षी देवी, पति–प्रमोद चौधरी, उम्र लगभग 35 वर्ष,
साकिन–फरीदपुर, थाना–शेखपुरा, जिला–शेखपुरा। ....आवेदिका।

<u>वनाम</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदिका की ओर से : श्री गोपाल कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

<u>आ दे श</u>

26.05.2026 काराधीन अभियुक्ता मिनाक्षी देवी की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 14.05.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड सं0–229 / 26 के अंतर्गत 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में मात्र गंदी सोच के तहत झूठा फंसाया गया है। आवेदिका के द्वारा पूर्व में इसके अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्ता के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदिका के पास से कोई अवैध सामग्री बरामद नहीं किया गया, मात्र किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के ख्याल से उक्त महिला मुदालय को झूठा फंसा दिया गया है। आवेदिका को श्रीमान के द्वारा जमानत की सुविधा दी जाती है तो इनके फरार होने की संभावना नहीं है। श्रीमान के आदेश से उचित राशि का बंध पत्र देने को तैयार है। आवेदिका दिनांक 14.05.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्ता को जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—548/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—229/26
बिहार राज्य बनाम् मिनाक्षी देवी।

लगातार

26.05.2026

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि उत्पाद थाना को दिनांक 14.05.2026 को समय करीब 05:00 AM बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि शेखपुरा थाना अंतर्गत फरीदपुर गॉव में मिनाक्षी देवी, पति—प्रमोद चौधरी चुलाई शराब बिक्री के लिए अपने घर में रखी हुयी है। तत्काल छापामारी करने पर उक्त महिला की शराब के साथ गिरफ्तारी हो सकती है। सूचना को सत्यापित करने हेतु वरीय पदाधिकारी को अवगत कराकर एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें महिला सिपाही एवं गृहरक्षक सिपाही को शामिल कर समय करीब 06:00 AM बजे शेखपुरा थाना अंतर्गत फरीदपुर गॉव में मिनाक्षी देवी, पति—प्रमोद चौधरी के घर के पास पहुंचा एवं घर की विधिवत घेराबंदी किया, उसी क्रम में देखा कि एक महिला अपने घर से निकलकर गली में भागने का प्रयास में थी, तो मेरे कहने पर गृहरक्षक महिला सिपाही के द्वारा घर के मुख्य दरवाजा के पास ही पकड़ लिया गया। पकड़ी गयी महिला से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मिनाक्षी देवी, पति—प्रमोद चौधरी, उम्र लगभग 35 वर्ष, साकिन—फरीदपुर, थाना—शेखपुरा, जिला—शेखपुरा बतायी। तत्पश्चात नियमों का पालन करते हुए विधिवत उक्त महिला एवं महिला सिपाही के साथ घर में प्रवेश किया एवं घर की विधिवत तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में घर में बने ढलाई सीढ़ी के नीचे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी बरामद हुआ। बोरी को तलाशी लने पर बोरी के अन्दर से 250ml का 30 पाउच मिला। पाउच को सुंघा गया तो पाउच से चुलाई शराब का गंध आया। कुल 07.500 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद हुआ। विधिवत नियमों का पालन करते हुए जप्ती सूची में अंकित किया गया तथा गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अभियुक्ता इस वाद में दिनांक 14.05.2026 से काराधीन है। घटनास्थल से 07.500 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद किया गया है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्ता के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदिका महिला है। इनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः–सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–548/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–229/26
बिहार राज्य बनाम् मिनाक्षी देवी।

लगातार

26.05.2026

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदिका को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदिका की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदिका की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्ता को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे–संबंधी होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र के साथ अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगी।
2. आवेदिका आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगी,
3. आवेदिका के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक इतिहास पाये जाने पर इनका बंधपत्र स्वयं खंडित माना जाएगा।
4. अभियुक्ता द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 26–05–2026.

Date of Judgment/ Order	26.05.2026
Date of Reserving Judgment/Order	26.05.2026
Uploading Date	27.05.2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.